संयुक्त निरीक्षण आख्या।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पत्रांक :– 163/4सी० दिनांक 25.01.2018 के अनुपालन में आज दिनांक 27.01.2018 को विंधिया टेली लिंक लिमिटेड ई०पी०सी० डिजिटल इन्डेस्ट्रल ऐरिया मोहाली, पंजाब के द्वारा जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग एवं आदिबद्री मोटर मार्ग कुल लम्बाई–68.50 कि०मी० में पोल के द्वारा हवा में केबिल लाइन डाले जाने हेतु अनुमति चाहने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में मार्ग की स्थिति के अनुसार आख्या विन्दुवार निम्नवत् है :–

1. लो०नि०वि० के मार्ग पर पेंटिंग सतह छोड़ कर एवं पट्री के किनारे की ओर ही पोल गाड़ा जाय, ताकि यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।
2. मार्ग के संकरे स्थानों पर खड्ड साइड में मार्ग सीमा के अन्दर पोल गाड़ा जाय, ताकि मार्ग की चौड़ाई बाधित न हो।
3. धसने वाले स्थानों पर यथास्थान मार्ग की सुरक्षा एवं पोल गाड़े जाने का कार्य लो०नि०वि० के देखरेख में किया जाय।
4. प्रत्येक पोल पर परावर्ती दूरदर्शक (रिफलेक्टर) लगाया जाना आवश्यक है, ताकि इस कारण कोई दुर्घटना न घटे।
5. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण/विस्तारीकरण एवं मार्ग के रख–रखाव कार्य के समय यदि अतिआवश्यकता हुई तो पोल सिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा।
6. पोल लगाते एवं केबिल डालते समय मार्ग से सम्बन्धि स्थाई संरचना, कल्वर्ट एवं सेतु को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाय।
7. पोल एवं हवा केबिल का कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का मलवा न छोड़ा जाय।
8. निर्माण कार्य से आरक्षित वन क्षेत्र से रेत, बजरी, पत्थर, लकड़ी एवं अन्य किसी वन उपज का दोहन नहीं किया जायेगा।
9. केबिल का कार्य कर रहे मजदूरों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में टेंट, तम्बू, छप्पर आदि नहीं लगाये जायेंगे।
10. कार्य कर रहे श्रमिको द्वारा भोजन बनाने हेतु आरक्षित वन क्षेत्र से इधन हेतु लकड़ी नहीं ली जायेगी।
11. निर्माण कार्य में उत्सर्जित मलवे को नदी/नालों में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
12. किसी भी प्रकार का आग को जलता हुआ नहीं छोड़ा जायेगा, ताकि इस कारण अग्नि दुर्घटना न हो।
13. कार्य कर रहे श्रमिको द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जानवरों का आखेट/नुकशान नहीं पंहुचाया जायेगा।
14. कार्य पूर्ण होने के पश्चात क्षेत्र से सभी औजार/छड़/तार/पौलीथीन तथा अन्य सामग्री को मौके से हटाया जायेगा।
15. विंधिया टेली लिंक लिमिटेड द्वारा मार्ग के जिस भाग में पोल गाड़ने एवं हवा केबिल बिछाने का कार्य किया जायेगा, उस समय मार्ग पर चल रहे यातायात को सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु स्वयं व्यवस्था की जायेगी।
16. मार्ग पर चल रहे यातायात के समय को देखते हुये पोल गाड़ने एवं हवा केबिल बिछाने का कार्य किया जाय।
17. कार्य के दौरान यातायात की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार साइन बोर्ड, कोशन बोर्ड एवं चैतावनी/सावधानी सूचक बोर्ड का प्रयोग अवश्य किया जाय।

विंधिया टेली लिंक लिमिटेड
(Kishore D. Mahajan) 27-1-18
Vindhya Telelinks Limited, Punjab

Vindhya Telelinks Limited, Punjab
27/1/18

27-1-2018
वन क्षेत्राधिकारी
वनक्षेत्राधिकारी (गौचर)
27-1-18
(माया लाल)
अनुभाग अधिकारी
रेंज
के०व०जी०सं०–गोपेश्वर

27/1/18
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर
गौचर (चमोली)

थानाध्यक्ष
कर्णप्रयाग
27/1/18

:: अनुमति पत्र ::

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक :– 1806/4सी0 दिनांक 21.12.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग एवं आदिबद्री मोटर मार्ग कुल लम्बाई– 68.50 कि0मी0 तक विंधिया टेली लिंक लिमिटेड ई0पी0सी0 डिजिटल इन्डस्ट्रियल ऐरिया मोहाली, पंजाब के द्वारा पोल के द्वारा हवा में केबिल लाइन डाले जाने हेतु कार्य करना चाहते है। जिस हेतु उप महाप्रबन्धक विंधिया टेली लिंक लिमिटेड के पत्रांक :– VTLEPC/TEL/UK/01/15 Dated- 12-09-2017 द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 25.01.2017 के पूवाहनः 11:30 मिनट कलेक्ट्रेट सभागार में उपरोक्त वर्णित मोटर मार्ग से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों एवं उप महाप्रबन्धक विंधिया टेली लिंक लिमिटेड के साथ बैठक सम्पन्न की गयी एवं दिनांक 27.01.2018 को वर्णित मार्गो का लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग एवं सम्बन्धित विंधिया टेली लिंक लिमिटेड कम्पनी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विंधिया टेली लिंक लिमिटेड द्वारा सड़क मार्ग की क्षति से सम्बन्धित धनराशि को लोक निर्माण विभाग के विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करते हुये कार्य आरम्भ किया जा सकता है, तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। विंधिया टेली लिंक लिमिटेड की ओर से उपस्थित उप महाप्रबन्धक द्वारा भी इस सम्बन्ध में अपनी सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः विंधिया टेली लिंक लिमिटेड ई0पी0सी0 डिजिटल इन्डस्ट्रियल ऐरिया मोहाली, पंजाब को जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग एवं आदिबद्री मोटर मार्ग कुल लम्बाई– 68.50 कि0मी0 रुट पर पोल के द्वारा हवा में केबिल लाइन डाले जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो को पूर्ण किये जाने की दशा में एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1. लो0नि0वि0 के मार्ग पर पेंटिंग व पट्री तथा दीवार की सतह को छोड़ कर खड्ड साइड की तरफ पोल गाड़ा जाय, ताकि यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।
2. मार्ग के संकरे स्थानों पर खड्ड साइड में मार्ग सीमा के अन्तर्गत सड़क की पेंटिंग व पट्री से अधिकतम् दूरी पर पोल गाड़ा जाय, ताकि मार्ग की चौड़ाई बाधित न हो।
3. धसने वाले स्थानों पर यथास्थान मार्ग की सुरक्षा एवं पोल गाड़े जाने का कार्य लो0नि0वि0 को पूर्व सूचित करने के उपरांत लो0नि0वि0 के देखरेख में किया जाय।
4. प्रत्येक पोल पर परावर्ती दूरदर्शक (रिफलेक्टर) लगाया जाना आवश्यक है, ताकि पोल गाड़े जाने के उपरांत कोई दुर्घटना न घटे।
5. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण/विस्तारीकरण एवं मार्ग के रख–रखाव कार्य के समय यदि अतिआवश्यकता हुई तो पोल सिफ्ट का कार्य कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 की कोई जिमेदारी नहीं होगी।
6. पोल लगाते एवं केबिल डालते समय मार्ग से सम्बन्धि स्थाई संरचना, कल्वर्ट एवं सेतु को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाये।
7. पोल एवं हवा केबिल का कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का मलवा न छोड़ा जाय।
8. मोटर मार्ग पर मलवा आने वाले स्थान् पर पोल न गाड़ा जाये या अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार डाला जाय कि जे0सी0बी0 का कार्य बाधित न हो।
9. निर्माण कार्य से आरक्षित वन क्षेत्र से रेत, बजरी, पत्थर, लकडी एवं अन्य किसी वन उपज का दोहन नहीं किया जायेगा।
10. केबिल का कार्य कर रहे मजदूरों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में टैंट, तम्बू, छप्पर आदि नहीं लगाये जायेंगे।
11. केबिल का कार्य कर रहे मजदूरों/श्रमिकों को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कार्यस्थल पर अस्थाई शौंचालय उपयोग हेतु बनाया जाना आवश्यक होगा।
12. कार्य कर रहे श्रमिको द्वारा भोजन बनाने हेतु आरक्षित वन क्षेत्र से इधन हेतु लकड़ी नहीं ली जायेगी।
13. निर्माण कार्य में उत्सर्जित मलवे को नदी/नालों में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
14. किसी भी प्रकार का आग को जलता हुआ नहीं छोड़ा जायेगा, ताकि इस कारण अग्नि दुर्घटना न हो।
15. कार्य कर रहे श्रमिको द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जानवरों का आखेट/नुकशान नहीं पंहुचाया जायेगा।
16. कार्य पूर्ण होने के पश्चात क्षेत्र से सभी औजार/छड़/तार/पौलीथीन तथा अन्य सामग्री को मौके से हटाया जायेगा।
17. विंधिया टेली लिंक लिमिटेड द्वारा मार्ग के जिस भाग में पोल गाड़ने एवं हवा केबिल बिछाने का कार्य किया जायेगा, उस समय मार्ग पर चल रहे यातायात को बाधित नहीं किया जायेगा एवं मोटर मार्ग पर एक दिन में कम्पनी द्वारा जितने पोल गाड़ने हेतु गड्ढे खोदे जायेंगे उसी दिन पोल गाड़कर गड्ढों को सुरक्षित ढंग से बन्द किया जायेगा।
18. मार्ग पर चल रहे यातायात के समय को देखते हुये पोल गाड़ने एवं हवा केबिल बिछाने का कार्य किया जाय।
19. कार्य के दौरान यातायात की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार साइन बोर्ड, कोशन बोर्ड एवं चैतावनी/सावधानी सूचक बोर्ड का प्रयोग अवश्य किया जाय।
20. सम्बन्धित विभागीय अधिकारी भी अपने खण्ड के अन्तर्गत निर्मित मार्गो पर विंधिया टेली लिंक लिमिटेड के कार्यो की समीक्षा करेंगे एवं मानको के अनुसार कार्य को पूर्ण करायेगें।

उपरोक्त शर्तो का उलंघन किये जाने पर विंधिया टेली लिंक लिमिटेड ई0पी0सी0 डिजिटल इन्डस्ट्रियल ऐरिया मोहाली, पंजाब को प्रदत अनुमति भी निरस्त की जा सकती है।

दिनांक 15-02-2018

(आशीष जोशी)
जिलाधिकारी
चमोली

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली

पत्रांक 2784 / XXIV — MB 2017-18 गोपेश्वर दिनांक 16 फरवरी 2018

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त लो0नि0वि0, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, गौचर।
3. उप महाप्रबन्धक, विंधिया टेली लिंक लिमिटेड ई0पी0सी0 डिजिटल इन्डस्ट्रियल ऐरिया मोहाली, पंजाब।

16/2/18

जिलाधिकारी
चमोली